महत्वपूर्ण/मा0 मंत्री जी के आदेश

संख्याः 468 /अड़तीस–5–2017–6सम/2017

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 12 मई, 2017

विषयः– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–279/अड़तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 एवं पत्र संख्या–294/अड़तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा/ विधान परिषद की संस्तुति पर लगाये जाने हेतु निर्देशित 100 नये एवं 100 रिबोर हैण्डपम्पों में से अवशेष बचे नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन व हैण्डपम्पों की रिबोरिंग की कार्यवाही ग्रीष्म ऋतु में जिन स्थानों पर पेयजल की समस्या/ आवश्यकता उत्पन्न हो उन स्थानों पर प्रथमतः उक्त अवशेष हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/ रिबोरिंग की कार्यवाही जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें अविलम्ब पूर्ण करा दिया जाय। तद्नुसार लगाये गये समस्त नये हैण्डपम्पों एवं रिबोर किये गये हैण्डपम्पों के कार्यो के पूर्ण होने पर क्षेत्र के सम्बन्धित जन–प्रतिनिधियों से कार्य पूर्ण होने का सत्यापन करा लिया जाय एवं सत्यापन रिपोर्ट से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/अड़तीस–5–2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

D:\2017\SO\GO-2017.docx